सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 354 राँची, सोमवार, 29 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

8 जून, 2026

संख्या-5/आरोप-01-91/2015 का.--36828 (HRMS)--श्री राधेश्याम प्रसाद, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फेनहारा एवं अन्य कर्मियों के विरूद्ध साजिश के तहत सरकारी राशि का दुरूपयोग/अनियमितता बरतने के आरोप में फेनहारा थाना काण्ड संख्या- 29/05, दिनांक-02.07.2005 दर्ज किया गया।

2. प्रासंगिक फेनहारा थाना काण्ड संख्या- 29/05, दिनांक-02.07.2005 में विधि विभाग के आदेश संख्या-25 दिनांक-23.06.2016 के द्वारा श्री राधेश्याम प्रसाद, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फेनहारा के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 22778, दिनांक- 15.12.2023 के साथ संलग्न पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी के पत्रांक-8374, दिनांक- 23.11.2023 में प्रतिवेदित है कि फेनहारा थाना काण्ड संख्या- 29/05, दिनांक-02.07.2005, धारा- 406/409/120बी भा0द0वि0 में सभी प्राथमिक अभियुक्त 1, श्री राधेश्याम प्रसाद, तत्कालीन प्रखण्ड विकास

पदाधिकारी, फेनहारा 2. पंचायत सेवक, फेनहारा 3. बारा पारसौनी मुस्ताक अहमद 4. प्रधान सहायक, चितरंजन कुमार 5. नाजीर सरफराज अहमद 5. संबंधित कार्यालय सहायक, शफुर्दिन अशरफ जन सेवक के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या-39/09, दिनांक- 23.09.09 द्वारा आरोप पत्र समर्पित कर अनुसंधान बंद कर दिया गया है।

4. श्री राधेश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त आवेदन दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से उनके द्वारा उनसे संबंधित जिला व्यवहार न्यायालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में लंबित वाद GR CASE No. 673 OF 2005 & CIS NO 23303 OF 2016 में Judicial Magistrate-1st Class, Motihari, East Champaran द्वारा दिनांक- 20.12.2023 को पारित न्यायादेश की सत्यापित प्रति एवं छायाप्रति संलग्न करते हुए उक्त मामले में दोष मुक्त किये जाने की सूचना इस विभाग को दी गयी। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः-

"----1. The accused persons named above are hereby acquitted of all the charges leveled against them.

2. All the sureties are also discharged from the liabilities of their respective bail-bonds in this case.

3. The Office is directed to get this Judgment/Case Record updated in the CIS before consigning in the Record Room.

4. The Office is further strictly directed to recall all the processes issued against the accused persons, if any, in this case unexecuted from the concerned P.S. forthwith.

5. Office Clerk is directed to consign the file complete in all respect with the record room as per the existing rules.

9. This judgment was pronounced in open court and read over to the parties on 20th day of December, 2023."

5. विभागीय पत्रांक- 6683 दिनांक- 08.09.2024 के द्वारा GR CASE No. 673 OF 2005 & CIS NO 23303 OF 2016 में Judicial Magistrate-1st Class, Motihari, East Champaran द्वारा दिनांक- 20.12.2023 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध अपील दायर होने की सूचना की मांग सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से की गयी एवं स्मारित किया गया।

6. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 19211 दिनांक- 02.12.2024 के साथ संलग्न जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, बिहार के पत्रांक-267 दिनांक- 09.12.2024 के द्वारा अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक- 10755 दिनांक

29.10.2024 इस विभाग को उपलब्ध करायी गयी है। जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, बिहार के पत्रांक-267 दिनांक- 09.12.2024 अनुलग्नक सहित इस विभाग को प्राप्त है।

अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-10755, दिनांक 29.10.2024 के द्वारा सूचित किया गया है कि फेनहारा थाना कांड संख्या-29/05 में साक्ष्य के अभाव के कारण अपील दायर नहीं किया गया है।

7. अतः समीक्षोपरान्त, GR CASE No. 673 OF 2005 & CIS NO 23303 OF 2016 में Judicial Magistrate-1st Class, Motihari, East Champaran द्वारा दिनांक- 20.12.2023 को पारित न्यायादेश में श्री राधेश्याम प्रसाद, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फेनहारा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, बिहार को दोषमुक्त किये जाने के आलोक में संबंधित मामले को संचिकास्त किया जाता है।

8. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राधेश्याम प्रसाद, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	**Employee Name G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	2	3
1	RADHE SHYAM PRASAD BHR/BAS/3921	समीक्षोपरान्त, GR CASE No. 673 OF 2005 & CIS NO 23303 OF 2016 में Judicial Magistrate-1st Class, Motihari, East Champaran द्वारा दिनांक- 20.12.2023 को पारित न्यायादेश में श्री राधेश्याम प्रसाद, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फेनहारा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, बिहार को दोषमुक्त किये जाने के आलोक में संबंधित मामले को संचिकास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 354-- 50